

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी-श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-10/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
विश्वसिंह पुत्र श्री शिवलाल जाति राजपुरोहित निवासी कमाना तहसील पचपदरा		1.रायमलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांदेसरा तहसील पचपदरा,जिला बाडमेर 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक- 18-7-2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि सरहद मौजा भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 309 क्षेत्रफल 07 बीघा 11 विस्वा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 11.02.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर,तहसीलदार पचपदरा को मौके पर पक्षकारान का माफिक कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।


लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 309 क्षेत्रफल 07 बीघा 11 विस्वा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


अपना खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किरम भूमि	बरग
विश्वसिंह पुत्र शिवलाल औम राजपुरोहित 1 & हिस्सा सा अपना खातेदार	भीमरलाई	309	1-18	बा.अ.	नक्शा में दर्शित परिशिष्ट व अनुसार
राजमल्लिह पुत्र मानसिंह औम राजपुरोहित सा चादेसरा 3 & हिस्सा	भीमरलाई	309	5-13	बा.अ.	नक्शा में दर्शित परिशिष्ट व अनुसार

तहसीलदार पक्षपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भ्रंशकर बाद जाच तस्वीक करे संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे राजस्व रिकॉर्ड में विशेषकर रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री रचना मुहतेब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।



(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा